न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, सुपौल

एस0सी0 / एस0टी0– 90 / 2023

त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0 435 / 2023

02 / 07 / 24	अभियुक्त सुशील कुमार एवं मनोज यादव उर्फ बिहारी यादव की ओर से हाजरी दी गयी। अभिलेख अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है। अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0–435 / 2023 से दो एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 मूल एवं एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 पूरक बना है तथा दोनों अभिलेख में अभियुक्तों के विरूद्ध आरोपों का गठन किया जा चुका है और अभी तक एक भी साक्षी का साक्ष्य नहीं हुआ है यथा दोनों अभिलेख समान स्थिति में है। अतः एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (पूरक) को एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (मूल) के साथ समामेलित करने की प्रार्थना की गयी। सुना एवं उक्त दोनों अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 मूल एवं एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 पूरक, एक ही थाना यथा त्रिवेणीगंज थाना काण्ड सं0 435 / 2023 से संबंधित है तथा दोनों अभिलेखों में आरोपों का गठन किया जा चुका है और एक भी साक्षी का साक्ष्य नहीं हुआ है अर्थात दोनों वाद समान स्थिति में है। एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (मूल) में 1. मनोज कुमार उर्फ बिहारी यादव, 2. सुशील कुमार अभियुक्त है एवं एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (पूरक) में 1. मनीष यादव, 2. प्रदीप यादव, 3. राजेश यादव अभियुक्त है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में एस0सी0 / एस0टी0 वाद– 90 / 2023 (पूरक) के संपूर्ण अभिलेख को एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (मूल) में समामेलित (Amalgamate) किया जाता है। अतः अब प्रस्तुत दोनों एस0सी0 / एस0टी0 का अभिलेख एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (मूल) में ही चलेगा। अब एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (पूरक) में नामित अभियुक्तगण का विचारण मूल वाद में एक साथ चलेगा तथा सभी संबंधित पक्ष अब एस0सी0 / एस0टी0 वाद–90 / 2023 (मूल) में ही पैरवी करेंगें तथा अब इस वाद में कुल पांच अभियुक्तों का विचारण होगा। दिनांक 16 / 07 / 2024 अभियोजन साक्ष्य वास्ते । Nishi Kant Thakur 2/7/24 अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सुपौल	